राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

लिंक रोड–3, पत्रकार कॉलोनी के सामने भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.डब्ल्यू.सी. / 2022 / 7624 भोपाल, दिनांक 31/10/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन), द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर 2020 को आयोजित सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा एवं ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किये गये दस्तावेज के परीक्षण में सत्यापित 13 उम्मीदवारों के द्वारा की गई च्वॉइस–फिलिंग एवं आवंटन नियमों के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.–04 में दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में अस्थाई पदस्थापना की जाती है।

SN	App ID	Name	Father/ Husband Name	District	Block	HWC Name
1	19721	Rohit Rathore	Deepchand	Anuppur	Jaithari	SHC Venkatnagar (5648586757)
2	4185	Sanjay Barskar	Jayram Barskar	Anuppur	Kotma	SHC Khuka Mgn (4814234433)
3	18680	Pulkit Jain	Bodhlal Jain	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Amadari (3482375858)
4	24752	Rohit Sahu	Seeta Ram Sahu	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Amagawan (5846856812)
5	28234	Neha	Nand Kishor Verma	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Bamhani (6641875684)
6	18826	Geeta Adlak	Rajkumar Adlak	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Bharni (1626165714)
7	19605	Pooja Rathore	Santosh Rathore	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Ghuidadar (7384333261)
8	27936	Kusum Lodhi	Kamal Singh	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Girari (Harrai) (4643574751)
9	28103	Sunita Narvariya	Swaroop Singh Narvariya	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Harrai (Khati) Mgn (6134512133)
10	20580	Sarita Ahirwar	Netram Ahirwar	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Kandikapa (8764413574)
11	25362	Priyesh	Anil Sarel	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Karpa (8585263836)
12	27315	Nandini Shinde	Baliram	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Kohka (1752778744)
13	32422	Neha Rane	Dilip Rane	Anuppur	Pushprajgarh	SHC Naugawan (8113265212)

दिशा निर्देशः–

1. संविदा CHO को 15 दिवस (1 से 15 नवम्बर 2022 तक) के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। पदस्थापना जिले में ज्वाइन करने के पश्चात त्यागपत्र देने/बिना सूचना अनुपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों को राशि 1.2 लाख रूपये बॉण्ड की शर्तों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जमा करना होगा।
2. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा CHO द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. ज्वाइन करते समय संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समस्त दस्तावेज तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही संविदा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. **यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी पदस्थापना के रूप में होगी। मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन इससे संबधित याचिका के अंतिम निर्णय एवं संविदा CHO के कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी संविदा पदस्थापना आदेश जारी किया जायेगा।**
5. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2023) के लिये अनुबंध होगा।
6. आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर न्यूनतम 1 वर्ष सेवा देने के पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

7. संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। संविदा अवधि में रू. 25,000/– प्रति माह मासिक मानदेय एवं अधिकतम रू. 15,000 प्रति माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
8. संविदा CHO को ज्वाईनिंग उपरांत पदस्थापना क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा।
9. संविदा CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का पालन न करना कदाचार माना जायेगा।
10. संविदा CHO द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. संविदा CHO राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
12. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
13. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितिकरण के संबंध कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होंगे।
14. संविदा की सेवा शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैन्युअल वर्ष–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी/2022/ 7624 भोपाल, दिनांक 31/10/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, अनूपपुर मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा, मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संविदा CHO के उपस्थिति उपरान्त दस्तावेज मिलान की सुविधा हेतु HWC Cell, NHM, Bhopal के माध्यम से URL Link भेजी जावेगी। जिसके माध्यम से संबंधित CHO के दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें सैम्स पोर्टल पर अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये दस्तावेज है। इन दस्तावेजों का मिलान संविदा CHO द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से कराना सुनिश्चित करें एवं मूल दस्तावेजों की प्रमाणिकता भी देखें। यह विशेष उल्लेखनीय है कि लिंक केवल कार्यालयीन उपयोग कि लिये यह लिंक होगी है, जिसके उपयोग की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसके साथ ही संविदा की कार्य पर उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय पर प्रेषित करें ताकि वेतन आदि के लिये उनकी HRMIS ID सृजित की जा सके।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अनूपपुर, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश, की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि जिला एम एण्ड ई अधिकारी के माध्यम से HWC Portal, NCD Portal, e-Sanjeevani में जानकारी अद्यतन करें और संबंधित CHO की ऑनलाईन आई.डी. निर्मित करें।
12. श्री अभय राज सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर, सैम्स संस्था, की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सैम्स वेबसाइट पर अपलोड कराना एवं संबंधित उम्मीदवारों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)